झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

अधिसूचना

संख्या 01/नि02-01/2012 (खण्ड)................/ राँची, दिनांकः ..../

चूँकि झारखण्ड राज्यपाल को यह समाधान हो चुका है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 के लागू होने के फलस्वरूप राज्य में अवस्थित राजकीय प्रशिक्षण महाविद्यालय/राजकीय प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय/जिला प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य एवं व्याख्याता हेतु अलग से सेवा शर्त्त नियमावली बनाना आवश्यक हो गया है, अतः '**भारत का संविधान**' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यान्तर्गत अवस्थित प्रशिक्षण संस्थानों हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है :

अध्याय–1

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ :**

(क) यह नियमावली **"झारखण्ड राज्य शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2016** कही जायेगी।"

(ख) इसका विस्तार संपूर्ण राज्य पर होगा।

(ग) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा ।

अध्याय–2

2. **परिभाषायें:** जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो, इस नियमावली में:

(क) "राजकीय प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय" से अभिप्रेत हैं, राज्य सरकार द्वारा स्थापित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जहाँ प्राथमिक / प्रारम्भिक स्तर की शिक्षक प्रशिक्षण अथवा अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है ।

(ख) "जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान" **(DIET)** से अभिप्रेत है, वैसे राजकीय प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय जो जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में उत्क्रमित किये गये हो अथवा स्थापित किये गये हों और जहाँ प्रारंभिक शिक्षा हेतु शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम अथवा अन्य प्रशिक्षण/शोध की व्यवस्था की गई है।

(ग) "जिला संसाधन केन्द्र" **(DRC)** से अभिप्रेत है, वैसे राजकीय प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय जो जिला संसाधन केन्द्र में उत्क्रमित किये गये है या स्थापित किये गये हो एवं जहाँ प्रारंभिक शिक्षा हेतु शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम अथवा अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।

(घ) "राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा स्थापित प्रशिक्षण महाविद्यालय जहाँ माध्यमिक स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण या समतुल्य पाठ्यक्रम अथवा अन्य कार्यक्रम संचालित हो।

(ड़) "शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय" **(CTE)** से अभिप्रेत है, वैसे राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जो शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय **(College of Teachers Eduation)** में उत्क्रमित किये गये हो अथवा स्थापित किये गये हो एवं जहाँ माध्यमिक स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम अथवा अन्य पाठ्यक्रम संचालित हो ।

(च) "उच्चतर अध्ययन शिक्षा संस्थान" **(Institute for Advanced Study in Education) (IASE)** से अभिप्रेत है, वैसे राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जो उच्चतर अध्ययन शिक्षा संस्थान में उत्क्रमित/स्थापित किये गये हैं तथा जहाँ एम0एड0, एम0 फिल0 एवं शिक्षा पर शोध संबंधी कार्यक्रम अथवा अन्य पाठ्यक्रम/कार्यक्रम संचालित हो ।

(छ) "व्याख्याता" से अभिप्रेत है प्रशिक्षण महाविद्यालयों में सक्षम प्राधिकार द्वारा नियुक्त/पदस्थापित पदाधिकारी, जो शिक्षक प्रशिक्षण का कार्य करते है।

(ज) "सहायक प्राध्यापक" (Assistant Professor) से अभिप्रेत है स्नातकोत्तर प्रशिक्षण महाविद्यालयों में सक्षम प्राधिकार द्वारा नियुक्त / प्रोन्नत / पदस्थापित पदाधिकारी, जो शिक्षक प्रशिक्षण का कार्य करते है।

(झ) "सह प्राध्यापक" (Associate Professor) से अभिप्रेत है स्नातकोत्त प्रशिक्षण महाविद्यालयों में सक्षम प्राधिकार द्वारा नियुक्त/प्रोन्नत/ पदस्थापित पदाधिकारी, जो शिक्षक प्रशिक्षण का कार्य करते है।

(ञ) "प्राध्यापक" (Professor) से अभिप्रेत है, स्नातकोत्तर प्रशिक्षण महाविद्यालयों में सक्षम प्राधिकार द्वारा नियुक्त / प्रोन्नत / पदस्थापित पदाधिकारी, जो शिक्षक प्रशिक्षण का कार्य करते है अथवा आवश्यकतानुरूप संकायाध्यक्ष के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किये गये हों।

(ट) "प्राचार्य" से अभिप्रेत है सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्रधान के रूप में नियुक्त/प्रोन्नत/पदास्थापित पदाधिकारी।

(ठ) "शिक्षकेतर कर्मचारी" से अभिप्रेत है शिक्षक प्रशिक्षण कार्य हेतु नियुक्त/पदास्थापित पदाधिकारी को छोड़कर महाविद्यालय के अन्य सभी पूर्णकालीन कर्मचारी।

(ड) ''राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्'' से अभिप्रेत है शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था को विनियमित करने वाला भारत सरकार का प्राधिकृत संस्थान।

(ढ़) ''विश्वविद्यालय अनुदान आयोग'' से अभिप्रेत है उच्च शिक्षा को विनियमित करने वाला भारत सरकार का प्राधिकृत संस्थान।

(ण) ''प्रशिक्षण पाठ्यक्रम'' से अभिप्रेत है, प्रशिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अथवा भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम।

(त) ''विभाग'' से अभिप्रेत है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग।

(थ) ''राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार।

(द) ''निदेशक, प्राथमिक शिक्षा'' से अभिप्रेत है राज्य स्तर पर प्राथमिक शिक्षा का प्रभारी निदेशक।

(ध) ''निदेशक, माध्यमिक शिक्षा'' से अभिप्रेत है राज्य स्तर पर माध्यमिक शिक्षा का प्रभारी निदेशक।

(न) ''निदेशक, झारखण्ड शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्'' से अभिप्रेत है राज्य स्तर पर स्थापित किये गये शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रभारी निदेशक।

(प) ''विशेष आवश्यकता वाले अभ्यर्थियों'' से अभिप्रेत है शारीरिक रूप से निशक्त अभ्यर्थियों।

3. **शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु पदस्थापित पदाधिकारियों की श्रेणियाँ :–**

(क) नियमावली के नियम 2(क), 2(ख) एवं 2(ग) के प्रशिक्षण महाविद्यालयों के पदाधिकारियों की श्रेणियाँ :

श्रेणी	वेतनमान
प्राचार्य	PB-II रु0 9300-34800, ग्रेड पे0 - रु0 5400/-
व्याख्याता	PB-II रु0 9300-34800, ग्रेड पे0 - रु0 4600/-

(ख) नियम 2(घ), 2(ड़), एवं 2(च) के प्रशिक्षण महाविद्यालयों के पदाधिकारियों की श्रेणियाँ:

	श्रेणी	वेतनमान
(i)	प्राचार्य (स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम)	PB-III रु0 15600-39100 ग्रेड पे0 - रु0 7600/-
(ii)	व्याख्याता (स्नातक स्तरीय पाठ0)	PB-II रु0 9300-34800,

ग्रेड पे० - रु० 5400/-

(iii) प्राचार्य/प्राध्यापक/संकायाध्यक्ष (स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्०) PB-III रु० 15600-39100 ग्रेड पे० - रु० 7600/-

(iv) सह-प्राध्यापक (स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्०) यथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित

(v) सहायक प्राध्यापक (स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्0) यथा PB-III रु० 15600-39100 ग्रेड पे० - रु० 6600/-राज्य सरकार द्वारा निर्धारित

(ग) नियम 2 में उल्लिखित प्रशिक्षण महाविद्यालयों में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप शिक्षक प्रशिक्षकों का पद होगा।

4. **अहर्ता :** नियम 3 के श्रेणियों के विरूद्ध नियुक्ति हेतु अहर्ता वही होगी जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा इन पदों के लिए निर्धारित है अथवा भविष्य में उनके द्वारा निर्धारित/संशोधित होगा। परन्तु कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं विशेष आवश्यकता वाले अभ्यार्थियों को स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा प्राप्तांक की अहर्ता में 5 प्रतिशत की छूट दी जा सकेगी।

5. **संवर्ग :** नियमावली के नियम 3 (क) तथा 3 (ख) के श्रेणियों के पदों का अलग-अलग राज्य स्तरीय संवर्ग होगा तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, झारखण्ड शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् होंगे।

इन पदों पर राज्य शिक्षा सेवा/अवर शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों को पदस्थापित नहीं किया जा सकेगा। परन्तु यह कि जिन पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रशिक्षण/शिक्षण शाखा में की गयी है तथा वे इस नियमावली में निर्धारित अहर्त्ता को पूरा करते हैं, तो उनसे विकल्प प्राप्त करते हुए इन प्रशिक्षण महाविद्यालयों में यथा अहर्त्तानुरुप पदों पर पदस्थापित किया जायेगा। परन्तु यह कि ऐसे पदाधिकारी, राज्य स्तरीय प्रशिक्षण महाविद्यालय संवर्ग के पदाधिकारी हो जायेंगे और वे राज्य शिक्षा सेवा अथवा अवर शिक्षा सेवा के पदाधिकारी नहीं रह जायेंगे।

6. **नियुक्ति की प्रक्रिया :**

(क) नियम 3 में उल्लिखित प्रत्येक श्रेणियों के स्वीकृत पदों तथा कार्यरत बल का आकलन अलग-अलग किया जायेगा तथा आकलित रिक्त पदों की अधियाचना झारखण्ड लोक सेवा आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम प्राधिकार को भेजी जायेगी।

(ख) झारखण्ड लोक सेवा आयोग अथवा सक्षम प्राधिकार द्वारा नियम 3(क) के पदों पर नियुक्ति निम्नवत् भारिता के अनुसार की जायेगी।

(i) अकादमिक उपलब्धि - 80 प्रतिशत
(ii) साक्षात्कार - 20 प्रतिशत

(ग) झारखण्ड लोक सेवा आयोग अथवा सक्षम प्राधिकार द्वारा नियम 3(ख) के पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु निर्धारित मानदंड एवं भारिता के अनुसार की जायेगी।

(घ) झारखण्ड लोक सेवा आयोग अथवा सक्षम प्राधिकार मेधा सूची तैयार कर उतने ही व्यक्तियों की अनुशंसा विभाग को उपलब्ध करायेंगे, जितने पद रिक्त होंगे।

(ड़) परन्तु यह कि नियम 6 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप सर्वप्रथम विभागीय स्तर से राज्य शिक्षा सेवा के वैसे पदाधिकारियों को जिनकी नियुक्ति प्रशिक्षण अथवा शिक्षण शाखा में हुई है और नियमावली में निर्धारित अहर्त्ता को पूरा करते हो से नियम 3 (क) के प्राचार्य एवं नियम 3 (ख) के सभी पदों पर पदस्थापन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करते हुए अधीक्षा के आधार पर उन्हें समतुल्य पदों पर पदस्थापित किया जायेगा। इसी प्रकार अवर शिक्षा सेवा के अहर्त्ताधारी पदाधिकारियों को नियम 3(क) के व्याख्याता के पद पर पदस्थापित करने की कार्रवाई की जा सकेगी । परन्तु पदस्थापन के पश्चात् ऐसे पदाधिकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय संवर्ग के पदाधिकारी हो जायेंगे तथा राज्य शिक्षा सेवा अथवा अवर शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों की सूची से संबंधित का नाम विलोपित कर दिया जायेगा । उसके पश्चत् जितने पद रिक्त होंगे, उन पदों पर सीधी नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी। परन्तु शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों को ऐसा अवसर प्राप्त होगा तथा प्रशिक्षण महाविद्यालयों में पदस्थापन के पश्चात् से ऐसे पदाधिकारी अपने पूर्व संवर्ग में लौटने को दावा नहीं कर सकेंगे।

(च) इस नियमावली के अधीन संवर्गीय एवं गैर संवर्गीय पदों पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग अथवा सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति एवं पदस्थापन हेतु समिति निम्नवत् होगी :

(i)	विभागीय सचिव/प्रधान सचिव	–	अध्यक्ष
(ii)	निदेशक, झारखण्ड शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण	–	सदस्य
(iii)	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	–	सदस्य
(iv)	निदेशक, प्राथमिक शिक्षा	–	सदस्य
(v)	विभाग के संयुक्त सचिव/उप सचिव	–	सदस्य सचिव

(छ) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राज्य स्तरीय आरक्षण लागू होगा। तदनुसार ही महिला एवं विकलांग हेतु निर्धारित क्षैतिज आरक्षण लागू होगा।

(ज) इस नियमावली के संवर्गीय पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आयु होंगे तथा अधिकतम आयु नियुक्ति वर्ष की पहली अगस्त को पदों के अनुरूप निम्नवत् होगी :

क्र0सं0	प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रकार	पद	अधिकतम आयु
1	दो वषीय प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा	प्राचार्य	50
	दो वषीय प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा	व्याख्याता	45
2.	बी0 एड0 पाठ्यक्रम	सहायक प्राध्यापक	45
	बी0 एड0 पाठ्यक्रम	सह-प्राध्यापक	50
	बी0 एड0 पाठ्यक्रम	प्राचार्य/प्रध्यापक	55
3.	एम0एड0 पाठ्यक्रम	सहायक प्राध्यापक	45
	एम0एड0 पाठ्यक्रम	सह-प्राध्यापक	50
	एम0एड0 पाठ्यक्रम	प्राध्यापक/संकायाध्यक्ष	55

नोट : (क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित छूट दी जायेगी।

(ख) परन्तु यह कि राज्य शिक्षा सेवा/अवर शिक्षा सेवा के अहर्त्ताधारी पदाधिकारियों को नियमावली में उल्लेखित शर्तों के साथ जब उक्त संवर्ग में पदस्थापित किया जायेगा तो उम्र का बंधेज नहीं होगा।

(ग) सेवानिवृत की आयु 60 वर्ष अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आयु होगी।

7. **शुल्क :** झारखण्ड लोक सेवा आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा घोषित प्राधिकार नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए राज्य सरकार की नीति के अनुरूप निर्धारित शुल्क अभ्यर्थियों से बैंक ड्रफ्ट/पौस्टल ऑडर के माध्यम से प्राप्त कर सकता है।

अध्याय-4

8. **शिक्षाकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति :** नियमावली के नियम 2 में उल्लेखित प्रशिक्षण संस्थानों के शिक्षाकोत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया एवं अन्य सेवा शर्ते वही होगी, जो विभागीय क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मचारियों हेतु निर्धारित है।

अध्याय-5

9. **अन्य सेवा शर्ते :**

(क) नियम 3 (क) एवं 3 (ख) के सभी श्रेणी के पदाधिकारियों की सेवा स्थान्तरणीय होगी तथा उनका स्थानान्तरण विभागीय मंत्री के अनुमोदन से नियम 6 (च) में गठित समिति द्वारा समतुल्य पदों पर किया जा सकेगा।

(ख) इस नियमावली के अधीन नियुक्त किये गये पदाधिकारियों को (अनुबंध पर रखे गये को छोड़कर) झारखण्ड सेवा संहिता के प्रावधान के आलोक में सरकारी सेवक का दर्जा प्राप्त होगा।

(ग) इस नियमावली में स्पष्टतया उपबंधित को छोड़कर राज्य सरकार के कर्मचारियों / पदाधिकारियों पर लागू सभी सुसंगत संहिताएँ इस नियमावली के अधीन नियुक्त पदाधिकारियों पर यथा स्थिति लागू होंगे ।

10. **संविदा के आधार पर नियुक्ति :** राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि यथा आवश्यकता निश्चित समयावधि के लिये संविदा आधारित नियुक्ति कर सके, परन्तु

उसमें भी झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित आरक्षण नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा ।

11. ***प्रकीर्ण :*** *यदि इस नियमावली के उपबंधों को प्रभावी करने में किसी कठिनाई की संभावना बनती है तो राज्य सरकार उस कठिनाई को दूर करने के लिये ऐसी कार्रवाई या आदेश पारित कर सकेगी जो आवश्यक प्रतीत हो तथा ऐसी की गयी कार्रवाई या आदेश नियमावली का अंग माना जायेगा ।*

12. ***निरसन एवं व्यावृत्ति :*** *इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से तत्विषयक पूर्व में प्रवृत्त सभी राजकीय संकल्प, आदेश, अधिसूचना, निदेश अथवा नियम निरसित मानें जायेगे । परन्तु ऐसा निरसन के होते हुए भी राजकीय संकल्प, आदेश, अधिसूचना, निदेश अथवा नियम के अधीन की गई कार्रवाई अथवा कार्य इस नियमावली के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्रवाई मानी जायेगी ।*

ह/–
(आराधना पटनायक)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : ..../ *राँची, दिनांक ..../*

प्रतिलिपि *: अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड गजट के आगामी असाधारण में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि अधिसूचना की 600 प्रतियाँ अविलम्ब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।*

ह/–
(आराधना पटनायक)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 48 *.../* *राँची, दिनांक* 11.2.16 *.../*

प्रतिलिपि *: झारखण्ड राज्य के महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड/सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उप विकास आयुक्त/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/ सभी प्राचार्य, राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, झारखण्ड/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा अधीक्षक/ सभी प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, झारखण्ड/सभी क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।*

11.2.16

(आराधना पटनायक)
सरकार के सचिव